बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या–पी०आर०/2026

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2028 (सत्र 2027–2028) में सम्मिलित होने के लिए–

(i) ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 25.09.2026 से 09.10.2026 तक की अवधि विस्तार करने एवं

(ii) इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे जायेंगे, उनकी विवरणी की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर पंजीयन/अनुमति आवेदन Submit करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 200/2026 के द्वारा **वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2028 (सत्र 2027–2028)** में सम्मिलित होने के लिए माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 09वीं में विधिवत् नामांकित/नियमित रूप से अध्ययनरत् एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का संबंधित विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने हेतु **दिनांक 05.09.2026 से 24.09.2026 तक** की अवधि निर्धारित की गई थी।

2. छात्रहित को ध्यान में रखते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे जाने हेतु **दिनांक 25.09.2026 से 09.10.2026 तक का अवधि विस्तार किया जाता है।** इस विस्तारित अवधि में मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान समिति के वेबसाईट **https://secondary.biharboardonline.org** अथवा **https://reg28.biharboardonline.org** से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन से वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भर सकते हैं।

3. **शुल्क दिनांक 08.10.2026 तक ही जमा किया जाना है:–** उक्त विस्तारित अवधि (दिनांक 25.09.2026 से 09.10.2026) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि विद्यालय के प्रधान द्वारा पंजीयन/अनुमति आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क मात्र **दिनांक 08.10.2026 तक की अवधि में ही जमा किए जाएँगे** तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया गया है, उनका पंजीयन/अनुमति आवेदन ऑनलाइन **दिनांक 09.10.2026 तक की अवधि में कभी भी भरा जाएगा।**

4. किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन छूट जाता है, तो पंजीयन/अनुमति आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित तिथि **08.10.2026** के बाद अगले दिन अर्थात **दिनांक 09.10.2026 तक** ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा।

5. **इस अवधि में जिन विद्यार्थियों का पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे जायेंगे, उनकी विवरणी की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं विद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर पंजीयन/अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।**

6. वैसे विद्यार्थी जिनका पंजीयन/अनुमति शुल्क पूर्व से जमा है, किन्तु उनका पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सका है, उनका भी इस अवधि (दिनांक 25.09.2026 से 09.10.2026 तक) में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरते हुए (Pre-filled) घोषणा पत्र अपलोड कर पंजीयन/अनुमति आवेदन Submit किया जा सकता है। साथ ही जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गए हैं, किन्तु घोषणा पत्र (Prefilled) अपलोड नहीं है, उनका हस्ताक्षरित Prefilled घोषणा पत्र भी इस अवधि में अपलोड कर पंजीयन/अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।

7. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों निर्धारित शुल्क जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरा जायेगा। जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द है अथवा मान्यता/संबद्धता वापस ले ली गयी है तथा जो निलंबित है, वैसे विद्यालयों से पंजीयन/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जायेगा।

8. किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता–पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा–A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ऐसा पाये जाने पर इस तरह के पंजीयन/अनुमति आवेदन को रद्द करते हुए विद्यालय प्रधान के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

9. यदि विद्यालय का U-DISE+Code एवं छात्र/छात्राओं का अपार आई०डी० (APAAR ID) आवंटित है, तो पंजीयन/अनुमति आवेदन प्रपत्र के यथा निर्दिष्ट स्थल पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

10. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 से व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत ऐच्छिक विषय के रूप में **सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), ऑटोमोबाईल (Automobile), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/आई०टीज० (IT/ITes)** ट्रेड को आठवें विषय के रूप में शामिल किया गया है।

10.1 व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत उक्त विषयों/ट्रेडों के पठन–पाठन की व्यवस्था के लिए जिलें में विद्यालयों को **चिन्हित** किया गया है। ऐसे विद्यालयों की सूची समिति के पोर्टल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। इन विद्यालयों में निर्दिष्ट विषय/ट्रेड का अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राओं के द्वारा ही इनमें से किसी एक का चयन कर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।

10.2 **राज्य/जिला के अन्य विद्यालयों के छात्र/छात्राओं** के द्वारा इन विषयों का **चयन नहीं** किया जाएगा। पंजीयन आवेदन प्रपत्र के स्तंभ–27 में इसका उल्लेख किया गया है। चिन्हित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के द्वारा इसमें से एक का चयन करते हुए संबंधित बॉक्स में (√) किया जाएगा।

11. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2028 (सत्र 2027–28) की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी पंजीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि पंजीयन/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

12. अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2028 (सत्र 2027–28) के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का शुल्क जमा कराते हुए ऑनलाइन पंजीयन आवेदन भरवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

13. विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 200/2026 की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

14. ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने एवं घोषणा पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं0– 9430429722 अथवा E-mail Id : bseb@antiersolutions.com पर सूचित कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

24.09.2026 24/09/26 24.09.26

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

24/09/26 24/9/26

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)– 446/26-के० – 2143 /पटना, दिनांक : 24/09/2026

प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी विद्यालयों के ई–मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाय। इसकी सूचना विद्यालय प्रधान एवं संबंधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाय। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तदनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

Newspaper C1_26_101 24/09/26

2. M/S ANTIER SOLUTIONS PVT. LTD. को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार शुल्क जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करने हेतु निर्धारित समय तक पोर्टल चालू रखने की सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। विज्ञप्ति की कंडिका–10 के आलोक में जिले में व्यावसायिक शिक्षा हेतु चिन्हित विद्यालयों से विषयवार पठन–पाठन हेतु निर्धारित परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर ही व्यावसायिक विषय के साथ पंजीयन आवेदन भरा जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द है अथवा मान्यता/संबद्धता वापस ले ली गयी है तथा जो निलंबित है, वैसे विद्यालयों से पंजीयन/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जा सके, इसके लिए अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/ अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता–पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा–A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें की प्रविष्टि नहीं की जाएगी तथा ऐसे पंजीयन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें– A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ इत्यादि जैसे विवरणी के साथ पंजीयन आवेदन स्वीकार किये जाने की स्थिति में आप जवाबदेह होंगे तथा इसके लिए यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अधीनस्थ सभी विद्यालयों/शिक्षण संस्थान के प्रधान इस विस्तारित (दिनांक 09.10.2026 तक) अवधि में उक्त व्यवस्था के अनुसार शुल्क जमा करते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के साथ–साथ विद्यार्थी, उनके अभिभावक एवं विद्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

4. शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, बुद्ध मार्ग शाखा, बिहार स्टेट टेक्सट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन परिषद्, पटना– 800001 को वर्णित आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. (i) उप निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट, आई0टी0 (माध्यमिक) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने निगरानी एवं पर्यवेक्षण में उक्त के आलोक में सभी आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय तथा इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाय ताकि किसी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति न हो।

(ii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द है अथवा मान्यता/संबद्धता वापस ले ली गयी, वैसे विद्यालयों से कदापि पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए चिन्हित विद्यालयों एवं व्यावसायिक विषय में निर्धारित संख्या के अनुसार पंजीयन आवेदन भराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता–पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा–A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें की प्रविष्टि नहीं की जाएगी तथा ऐसे पंजीयन आवेदन स्वीकार नहीं करने हेतु कारगर तकनीकी व्यवस्था सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। पंजीयन से संबंधित इस कार्य निर्वहन में आई0टी0 प्रशाखा (माध्यमिक) का सतर्क जांच एवं सतत् अनुश्रवण अपेक्षित है।

(iii) यह भी अनुरोध है कि छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रति समिति के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(iv) यह भी अनुरोध है कि आई०टी० प्रभाग (मा०) के सभी तकनीकी पदाधिकारियों/कर्मियों को अपने स्तर से एक आदेश निर्गत कर एजेंसी द्वारा पंजीयन कार्य परिशुद्ध एवं त्रुटिरहित तरीके से किये जाने का प्रतिदिन अनुश्रवण करने तथा समय–समय पर यह जाँच करने का निदेश दें कि छात्र/छात्राओं का पंजीयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुचारू रूप से किया जा रहा है। यह भी की एजेंसी द्वारा यदि कोई त्रुटि की जाती है, तो उसकी सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी को देंगे तथा नियमानुसार त्रुटि के परिमार्जन/सुधार की कार्रवाई तुरंत करेंगे।

(v) निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना **राज्य के सभी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को ई–मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाय।** इसके लिए विद्यालयों के प्रधान का WhatsApp ग्रुप बनाया जाए। इसकी सूचना माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधान को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। तद्नुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए जन संपर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

04/09/26

6. प्रभारी पदाधिकारी, भंडार (मा०), वित्त पदाधिकारी/मुख्य लेखा पदाधिकारी (मा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. सभी उप सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, निदेशक, आई०टी० तथा परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

24.09.26

24-09-2026

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

24/09/26

24/9/26